कार्यालय नगरपालिका परिषद गौरा बरहज, जनपद--देवरिया

पत्रांक /2015 न0पा0प0 (2015–16) दिनांक : 15/04/15

अल्पकालीक निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका परिषद गौरा बरहज में दिनांक– 01.05.2015 से 31.03.2016 तक सेवा प्रदाता के माध्यम से ठेके पर कार्य करने हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ प्रकाश, पेयजल आपूर्ति, वाहन चलाने एवं अन्य कार्यों हेतु श्रमिकों की आवश्यकता है के कम में पंजिकृत फर्मों द्वारा दिनांक– 24.04.2015 को सायं 2.00 बजे तक मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन 3.00 बजे उपस्थित निविदादातो के समक्ष अद्योहस्ताक्षरी द्वारा खोला जायेगा। निविदा प्रपत्र बिक्री निविदा तिथि के पूर्व दिनांक– 22.04.2015 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय नगरपालिका परिषद गौरा बरहज में प्राप्त की जा सकती है। किसी भी विस्तृत जानकारी के लिए नगरपालिका परिषद गौरा बरहज कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त किया जा सकता है। श्रमिकों का विवरण निम्नप्रकार है।

कम सं0	श्रमिकों का पदनाम	संख्या	धरोहर धनराशि	निविदा मूल्य	अन्य
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर	2			
2	टैम्पो / ट्रैक्टर चालक	2			
3	स्काई लिफ्टर चालक	1			
4	बैक्हो लोडर चालक	1			
5	बैक्हो लोडर खलासी	1	25000.00	100.00	
6	ट्यूबेल चालक	3			
7	बिजली मिस्त्री / स्वीचमैन	2			
8	पलम्बर मिस्त्री	1			
9	सफाई कर्मचारी / स्वीपर	10			

नियम व शर्ते

1. निविदा नगरपालिका द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर भरना होगा।
2. पालिका द्वारा आवश्यकतानुसार ठेके की अवधि घटायी / बढायी जा सकती है।
3. निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
4. उपरोक्त श्रमिकों को मजदूरी श्रम आयुक्त, उ0प्र0, जी0टी0 रोड कानपुर के द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम द्वारा निर्धारित दर के अनुसार देय होगा तथा इसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
5. शासनादेशानुसार श्रमिक (मजदूरी) रू0 250.00 प्रतिदिन निर्धारित है।
6. किसी भी दशा में श्रमिकों को किये जाने वाले भुगतान में कोई कटौती सेवा प्रदाता द्वारा नहीं किया जायेगा।
7. सेवा प्रदाता द्वारा अपना सर्विस चार्ज निविदा फार्म में इगिंत करना अनिवार्य होगा।
8. सेवा प्रदाता द्वारा अपने श्रमिकों का भुगतान श्रमिको द्वारा खाता खोलवाकर एकाउझट पेयी चेक द्वारा करना अनिवार्य होगा।
9. सेवा प्रदाता अपने समस्त कर्मचारियों / श्रमिको का परिचय पत्र अपने स्तर से भी जारी करेगे।
10. किसी भी सेवा प्रदाता एजेन्सी को श्रम विभाग कार्यालय में पंजीकरण होना आवश्यक है।
11. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा सरकारी प्रतिष्टान में कम से कम 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए जिसका प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
12. धरोहर धनराशि के रुप में राष्ट्रीय बचत पत्र / एफ0डी0आर0 / डी0डी0 / सी0डी0आर0 के रूप में संलग्न करना निवार्य होगा।
13. निविदा स्वीकृति के पश्चात सम्बन्धित ठेकेदार / फर्म को रू0 100.00 मात्र के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
14. किसी प्रकार की घटना / दुर्घटना होने पर सेवा प्रदाता उत्तरदायी होगा।

नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया

नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया

पत्रांक 778(3)/2015 न0पा0परि0 (2015–16) तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कार्यालय नगरपालिका परिषद गौरा बरहज के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
2. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र "राष्ट्रीय सहारा" एवं "सिटी टाइम्स" को इस आशय से प्रेषित कि निविदा सूचना न्यूनतम स्थान में प्रकाशित कर समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल पालिका कर्यालय मे भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
3. जिलाधिकारी, देवरिया।
4. उप जिलाधिकारी, बरहज।
5. जिलाधिकारी एन0आई0सी0 कार्यालय, देवरिया।

अधिशासी अधिकारी

अजीत
अध्यक्ष